



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी पवन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 माह का कारावास व 25,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त पवन पुत्र नेम चन्द निवासी पक्की गढ़ी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 14/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पवन को दोषी पाते हुए 07 माह के कारावास व 25,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 21 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व 92 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 21 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व 92 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देव कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपता

बरामदगी का विवरण-

- 21 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- 92 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली रोड से नैथला मार्ग की तरफ ट्यूबवैल पर एक अभियुक्त किसी संगीन घटना को कारित करने की फिराक में है । सूचना का थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मौके पर पहुंची । अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01



जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियुक्त जनपद उधम सिंह उत्तराखण्ड के थाना काशीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-629/23 धारा 380/427/34/411/465/468/471 भादवि में दिनांक 19/12/2023 को एसबीआई का एटीएम तोड़ने की घटना का सरगना है, जो कि अभियोग में वांछित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

वर्तमान पता परशुराम कॉलोनी ग्राम गौरीपुर निवाडा।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर।
- एक मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 15 छत्रपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-का0 853 रवि गौतम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र युनुस निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

● एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0यू0टी0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 732 रोबिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.04.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा

सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मान पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला कुरेशियान करबा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 611 देवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 732 रोबिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 03.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 37 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 37 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 37 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय कुमार पूनियाँ थाना बडौत ।
- 2-है0का0 51 सोनो सागर थाना बडौत ।
- 3-का0 970 रोहित कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 03.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 218/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

स्वयं उर्फ हकला पुत्र बिजेन्द्र निवासी मौहल्ला इस्लामाबाद करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 51 सोनो सागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 03.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 553/17 धारा 379/411/420 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 566/17 धारा 392/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 567/17 धारा 307/411/420 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 568/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 440/17 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 385/17 धारा 392/411 थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 452/17 धारा 394/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 251/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
9-मु0अ0सं0 566/18 धारा 382/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
10-मु0अ0सं0 217/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 03.04.2024

थाना बिनौली पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 97/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सागर पुत्र अजय निवासी ग्राम माखर थाना बिनौली जनपद बागपत । (एचएस नम्बर 1013/A)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 439/17 धारा 394/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 454/17 धारा 307 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 07/18 धारा 25 आम्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 349/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 198/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 41/23 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना बिनौल जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 257/23 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 290/23 धारा 380 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 439/2017 धारा 394/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक-03.04.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 96/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1100 रूपये नगद व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

दिनांक 02.04.2024 को थाना बिनौली पर वादी श्री सन्तराम पुत्र ब्रह्मदास निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. निशान्त पुत्र नीरज, 2. रितिक उर्फ लूचि पुत्र भुरु, 3. विजय उर्फ बिजार पुत्र ऋषिपाल निवासी गण ग्राम



अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत 4. कबीर पुत्र धीरज निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके घर के बाहर से एक लकड़ी की मेज को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 96/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 96/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1100 रूपये नगद व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-निशान्त पुत्र नीरज निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-रितिक उर्फ लूचि पुत्र भुरु निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-विजय उर्फ बिजार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1100 रुपये नगद ।
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली ।
- 2-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली ।
- 3-है0का0 399 वीरपाल सिंह थाना बिनौली ।
- 4-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली ।
- 5-का0 23 अजयपाल सिंह थाना बिनौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-03.04.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 102/24 धारा 34/307 भादवि 3/4/25/27 आयुध अधिनियम, 3/11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 2/9/39/44/49(बी)/51 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, 26(1)(j) भारतीय वन अधिनियम 1927, 4 वाइल्ड बर्ड्स एण्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912 में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वन्यजीवों को मारकर तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नौशाद पुत्र आस इलाही निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना दोघट बागपत।

2-का0 876 कैलाश कुमार थाना दोघट बागपत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.04.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद पुत्र नन्हे निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 19/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 110/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर ।

2-का0 594 सरफराज खाँ थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनाँक 03.04.2024

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- राजू पुत्र चैनसुन निवासी पट्टी शाहजहांपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-सचिन पुत्र बबलीपाल निवासी पट्टी गिरधरपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-अमर पत्र नवीन निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-जयवीर पुत्र सागर सिंह निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-बब्लू पुत्र रविन्द्र निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना खेकड़ा पुलिस टीम ।
- 2-थाना बिनौली पुलिस टीम ।
- 3-थाना दोघट पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 03.04.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग 91/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनिल उर्फ सोनू पुत्र भोपाल निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. का0 856 पवन वर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. का0 978 पुनीत शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
5. है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।